रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092021-229792 CG-DL-E-20092021-229792

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3558]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 2021/भाद्र 29, 1943

No. 3558]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 2021/BHADRA 29, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 3882(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग 'गुजरात विद्युत विनियामक आयोग', गांधीनगर (पैन AAAAG0638C), को आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः-

- (क) वार्षिक लाइसेंस शुल्क;
- (ख) याचिका शुल्क; तथा
- (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों/राज्य द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्थाओं के पास जमा/सावधि जमाओं तथा बचत खातों पर अर्जित ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि गुजरात विद्युत विनियामक आयोग, गांधीनगर,-
 - (क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नही करेगा;
 - (ख) विनिर्दिष्ट आय के कार्यकलाप एवं प्रकृति वित्त वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे;
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा; तथा

5305 GI/2021 (1)

- (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में दिए गए प्रावधान अनुसार लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट फाईल करेगा और साथ ही सनदी लेखाकार से यह प्रमाण पत्र की उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हैं।
- 3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 115 /2021/फा. सं. 300196/9/2021-आईटीए-1] सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

- **S.O.** 3882(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Gujarat Electricity Regulatory Commission', Gandhinagar (PAN AAAAG0638C), a commission established by the state government of Gujarat, in respect of the following specified income arising to the Commission, namely:-
 - (a) Annual license fee;
 - (b) Petition fee; and
 - (c) Interest earned on fixed/term deposits and savings account with nationalized banks/state sponsored financial institutions.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Gujarat Electricity Regulatory Commission, Gandhinagar,-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years;
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961; and
 - (d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.
- 3. This notification shall apply with respect to the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification No. 115/2021/F. No. 300196/9/2021-ITA-I] SOURABH JAIN, Under Secy.